

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मेरा बनाम श्री शौकतशली (वर्ग 2)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 137 सन् 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10-2	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10-11-21 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के सेग अभियान 2021 ग्राम पंचायत जिन्हास मे पेश हुई अणर्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए एवं वही से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शान्पठ किया गया। एपिप्रा का अर्षना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण से लिखा जाकर तामील पत्रावली किया गया। पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संन अभियान 2021</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :-

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्रीमती जैरा व/० श्री प्रियदर्शी पारोदिया (वादाय) निवासी- माण्डल तहसील माण्डल
--प्रार्थी

बनाम

1- श्री शांका अली व/० श्री अहमद जीलगर निवासी- मीलारो का चारो तरफ माण्डल तहसील
(प्रस्तावित विपक्षीय गण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....2578/1.....कुल किता01.....हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....10.12.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....2578/1.....कुल किता01.....रकबा.....0.18.97 हेक्टेयर.....भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल.....को507/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021